यह निरीक्षण प्रतिवेदन **प्रभागीय वनाधिकारी, भूमि संरक्षण वन प्रभाग उत्तरकाशी** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

प्रभागीय वनाधिकारी, भूमि संरक्षण वन प्रभाग उत्तरकाशी के माह 12/2014 से 03/2017 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री नीरज कुमार श्रीवास्तव एवं श्री गोविन्द कुमार सिंह, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 11.05.2017 से 17.05.2017 तक श्री के0एल0भट्ट वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

<u>भाग-I</u>

1. **<u>परिचयात्मकः</u>** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री रवि शंकर सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा दनांक 09.12.2014 से 17.12.2014 तक श्री प्रेमचन्द्र लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें राजस्व हेतु माह 05/2007 से 11/2014 तक एवं व्यय हेतु माह 05/2007 से 11/2014 तक के लेखाभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में राजस्व हेतु माह 12/2014 से 03/2017 तक एवं व्यय हेतु माह 12/2014 से 03/2017 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

(i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः वानिकी एवं भूमि संरक्षण कार्य प्रभाग के अंतर्गत जामक धनारीगाड़ इंद्रावती, जलकुरगढ़-I राजी जनपद उत्तरकाशी में तथा जलकुरगढ़ –II टिहरी जनपद में स्थित है का अधिकार क्षेत्र है।

(ii) (ii) (अ) **राजस्व विवरण**:

विगत तीन वर्षो मे कार्यालय द्वारा अर्जित राजस्व का ब्यौरा निम्नवत् है

वर्ष	अर्जित राजस्व (रू लाख में)
2014-15	0.37
2015-16	0.002
2016-17	0.03

(ब) बजट का विवरण:- विगत तीन वर्षो में बजट आवंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(रु लाख मे)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		आधिक्य (+) `	बचत (-) `
	स्थापना `	गैर स्थापना `	आवंटन `	व्यय `	आवंटन `	व्यय `		
2014-15	-	-	405.46	367.12	85.92	85.92	-	38.34
2015-16	-	-	355.75	335.34	100.51	100.51	-	20.41
2016-17	-	-	294.16	290.92	169.07	169.07	-	3.24

(स) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

(रु लाख मे)

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष `	प्राप्त `	व्यय अधिक्य (+) `	बचत (-) `
2014-15	इंटीग्रेटेड फॉरेस्ट प्रोटेक्शन स्कीम	-	2.20	2.20	-
2015-16	इंटीग्रेटेड फॉरेस्ट प्रोटेक्शन स्कीम	-	1.68	1.68	-
2016-17	इंटीग्रेटेड फॉरेस्ट प्रोटेक्शन एवं नमा म गंगे	-	2.42 117.04	2.42 115.60	- 1.44

(iii) **इकाई को बजट आवंटन** केंद्र एवं राज्य द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई C श्रेणी की है।

(iv) विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत है:

मुख्य सचिव वन एवं पर्यावरण> अपर सचिव> प्रमुख वन संरक्षक> मुख्य संरक्षक >वन संरक्षक > प्रभार वनाधिकारी> सहायक वन संरक्षक

(V) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः यह निरीक्षण प्रतिवेदन **प्रभागीय वनाधिकारी, भूमि संरक्षण वन प्रभाग उत्तरकाशी** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है।

(Vi) विस्तृत जांच हेतु माह का चयन :-

माह 03/2016 एवं 03/2017 को राजस्व की विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया।

माह 03/2016 एवं 03/2017 को व्यय की विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया।

(vii) योजना का चयन :- शून्य

(Viii) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13 एवं 16 एंव लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

राजस्व की लेखा- लेखापरीक्षा

भाग-2 'अ'

शून्य

भाग-2 'ब'

शून्य

व्यय की लेखा परीक्षा

भाग-2 'अ'

शून्य

भाग-2 'ब'

प्रस्तर 01:-

<u>भाग दो ब</u>

प्रस्तर 1– ` 24.99 लाख का निर्माण मरम्मत कार्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के बिना पूर्ण कराया जाना।

उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2008 के बिन्दु 43(ग) के अनुसार कार्य को तब तक प्रारम्भ न किया जाय जब तक कि सक्षम प्राधिकारी से प्राक्कलन के आधार पर प्रशाासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त न कर ली गयी हो।

प्रभाग के लेखा अभिलेखों की जांच में पाया गया कि प्रभाग द्वारा वर्ष 2014–15, 2015–16 एवं 2016–17 में बिना वन संरक्षक की स्वीकृति प्राप्त किये निर्माण **मरम्मत** कार्य पूर्ण करा दिये गये तथा लेखापरीक्षा तिथि तक प्रभाग को निम्नलिखित निर्माण **मरम्मत** कार्यो की स्वीकृति वन संरक्षक कार्यालय से प्राप्त नहीं हुयी थी।

क्र0 सं0	**योजना का नाम**	**स्वीकृति हेतु प्रेषित पत्र संख्या एवं दिनांक**	**स्वीकृत धनराशि (` लाख में)**	**व्यय / अवमुक्त धनराशि (` लाख में)**
01	प्रभागीय कार्यालय की विशेष मरम्मत	392 / 3–4 22.12.2014	1.00	1.00
02	प्रभागीय कार्यालय के आंगन का फर्श डालना	392 / 3–4 22.12.2014	0.50	0.50
03	मल्ला स्थित टी0ओ0 क्वार्टर की विशेष मरम्मत	392 / 3–4 22.12.2014	1.90	1.90
04	हीना स्थित वन रक्षक (डब्बल) चौकी की मरम्मत(जामक रेंज)	164 / 29–1 28.08.2015	2.50	2.50
05	कोटबंगला स्थित ट्यूबलर हट की मरम्मत करना (इन्द्रावती रेंज)	165 / 29–1 28.08.2015	2.50	2.50
06	प्रधान कार्यालय में पोर्टेशन एवं बाथरूम की मरम्मत करना (इन्द्रावती रेंज)	162 / 29–1 28.08.2015	1.50	1.50
07	वन चेतना केन्द्र चिन्याली सौड़ की मरम्मत करना (धनारी गाड रेंज)	168 / 29–1 28.08.2015	1.50	1.50
08	श्रमिक आवास चिन्यालीसौड़ की मरम्मत (धनारीगाड रेंज)	167 / 29–1 28.08.2015	1.00	1.00
09	कोटबंगला स्थित श्रमिक आवास की मरम्मत करना (इन्द्रावती रेंज)	163 / 29–1 28.08.2015	0.50	0.50
10	राजि कार्यालय धौन्तरी की विशेष मरम्मत (जलकुरगाड रेंज)	166 / 29–1 28.08.2015	2.50	2.50
11	कोटबंगला स्थित चतुर्थ श्रेणी आवास मरम्मत करना (इन्द्रावती रेंज)	198 / 29–1 07.09.2015	3.39	3.39
12	प्रभागीय वनाधिकारी के आवास की टूट–फूट मरम्मत एव रंग रोगन कार्य करना (इन्द्रावती रेंज)	199 / 29–1 07.09.2015	1.20	1.20
13	लम्बगांव राजि कार्यालय / राजि लिपिक की मरम्मत हेतु वित्तीय स्वीकृति (जलकुरगाड रेंज)	470 / 29–1 29.02.2017	2.00	2.00
14	कोटबंगला स्थित चतुर्थ श्रेणी आवास की मरम्मत	468 / 29–1	2.00	2.00

	हेतु वित्तीय स्वीकृति (इन्द्रावती रेंज)	25.02.2017		
15	कोटबंगला स्थित वन रक्षक चौक आवास की मरम्मत हेतु (इन्द्रावती रेंज)	469/29—1 25.02.2017	1.00	1.00
योग			**24.99**	**24.99**

उक्त को इंगित किये जाने पर प्रभाग द्वारा अवगत कराया गया कि भवन मरम्मत का कार्य उच्चाधिकारी से स्वीकृति की प्रत्याशा में किया गया।

प्रभाग का उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि नियमानुसार कार्य को तब तक प्रारम्भ नहीं किया जाना चाहियें जब तक कि सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त न कर ली जायें एवं कार्य को नियमानुसार निविदा आमंत्रित करके ही कराया जाना चाहिए।

अतः ` 24.99 लाख का निर्माण **मरम्मत** कार्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के बिना पूर्ण कराये जाने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, भूमि संरक्षण वन प्रभाग, उत्तरकाशी की अवधि 12/2014 से 03/2017 तक के लेखा अभिलेखो की श्री नीरज कुमार श्रीवास्तव एवं श्री गोविंद कुमार सिंह सहायक लेखा परीक्षा अधिकारियो द्वारा दिनांक 11.05.2017 से 17.05.2017 तक श्री के0 एल0 भट्ट, व0 लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण मे संपादित लेखापरीक्षा पर आधारित नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी निम्नलिखित है।

प्रस्तर-01 प्रभाग स्तर पर माप पुस्तिका निर्गत पंजिका का अनुरक्षण आगामी लेखापरीक्षा मे प्रतीक्षित रहेगा।

प्रस्तर-02 श्री प्रताप सिंह, वन दरोगा, श्री दया लाल, प्र0 अ0, श्रीमति जमुना देवी, माली, श्री विजय बहादुर, सहायक वन संरक्षक, श्री चिरंजीव लाल अवस्थी, वन दरोगा, श्री कीर्ति सिंह, अर्दली, श्री जय पाल सिंह गुलेरिया, वन दरोगा, श्री रोशन लाल, वन दरोगा, श्री भरत सिंह राणा, अर्दली आदि के सामान्य भविष्य निधि पास बुक वर्ष 2016-17 वार्षिक लेखाबन्दी किया जाना एवं प्रथम पृष्ट पर सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापन कराया जाना आगामी लेखा परीक्षा मे प्रतीक्षित रहेगा।

प्रस्तर–03 श्री विजय बहादुर, प्रभागीय वनाधिकारी, श्री प्रताप सिंह, चौकीदार, श्रीमति सावित्री देवी, माली, श्री बुद्धि लाल, माली, श्री सुरेश चन्द्र, क0 लि0, श्री कीर्ति सिंह, अर्दली, श्री भारत सिंह राणा, अर्दली, आदि की सेवा पुस्तिका मे सेवा का सत्यापन सक्षम अधिकारी द्वारा किया जाना आगामी लेखा परीक्षा मे प्रतीक्षित रहेगा।

प्रस्तर-04 प्रभाग स्तर पर मस्टर रोल निर्गत पंजिका का अनुरक्षण एवं मस्टर रोल पर मशीन द्वारा क्रमांकित किया जाना आगामी लेखापरीक्षा मे प्रतीक्षित रहेगा।

सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी/दल संख्या-01

पत्र संख्या-राजस्व क्षेत्र/ले0प0द0सं-01/ **दिनांक-**

प्रतिलिपि प्रभागीय वनाधिकारी, भूमि संरक्षण वन प्रभाग, उत्तरकाशी को इस आशय के साथ प्रेषित कि इसकी अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के भीतर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकर (राजस्व क्षेत्र) कार्यालय महालेखाकर (लेखापरीक्षा), उत्तराखंड, सी-1/105 वैभव पैलेस, इन्दिरा नगर देहारादून को प्रेषित कर दे।

सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी/दल संख्या-01

भाग-III

राजस्व से संबंधित विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या
133/14-15	0	1

व्यय से संबंधी :

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या
	शून्य	

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

(1) राजस्व से संबंधित इकाई द्वारा **निस्पादित अच्छे कार्य-टिप्पणी शून्य**

(2) व्यय से संबंधित इकाई द्वारा **निस्पादित अच्छे कार्य- टिप्पणी शून्य**

भाग-V

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु **प्रभागीय वनाधिकारी, भूमि संरक्षण वन प्रभाग, उत्तरकाशी** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः

शून्य

2. **सतत् अनियमितताएः**

शून्य

3. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया**

क्रम सं0	नाम	पदनाम
1.	श्री गिरीश कुमार रस्तोगी	प्रभागीय वनाधिकारी
2.	श्री विजय बहादुर	प्रभागीय वनाधिकारी

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **प्रभागीय वनाधिकारी, भूमि संरक्षण वन प्रभाग, उत्तरकाशी** को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार/उप महालेखाकार (राजस्व क्षेत्र) को प्रेषित कर दी जाए।

लेखापरीक्षा अधिकारी